न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या/375/2025 वाद **दायर दिनांक 06.08.2025**

उनवान

1. ऊंकार पिता सोला जाति चमार आयु वयस्क निवासी हीरा जी का खेड़ा तहसील कपासन जिला चितौडगढ।

बनाम

1. खेमा पिता शम्भु जाति जटिया आयु वयस्क निवासी हीरा जी का खेड़ा तहसील कपासन जिला चितौडगढ।
2. गोपी पिता शम्भु जाति जटिया आयु वयस्क निवासी हीरा जी का खेड़ा तहसील कपासन जिला चितौडगढ।
3. मोती पिता शम्भु जाति जटिया आयु वयस्क निवासी हीरा जी का खेड़ा तहसील कपासन जिला चितौडगढ।
4. प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ताणा तहसील भूपालसागर।
5. भूमिधारी तहसीलदार कपासन जिला चितौड़गढ़।

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री मांगीलाल बैरवा —वादी

–: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः 30.10.2025

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात मौजा हिराजी का खेड़ा पटवार हल्का करजाली तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी नम्बर 351, 352, 355, 356, 357, 358, 359, 360 कुल किता 8 कुल रकबा 1.42 हैक्ट0 स्थित है। तथा निवेदन किया कि बंटवाडा आराजियात की डिक्री पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के जारी फरमाई जाकर के वादपत्र की कॉलम संख्या एक में वर्णित आराजियात का वादी का 7/8 हिस्से की आराजीयात का बंटवाड़ा कराया जाकर के अलग से खाताबन्दी एवं लगानबन्दी कायम कराया जाने की डिकी पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। जवाब पेश नहीं किये जाने से जवाब बन्द किया गया। साक्ष्यवादी में वादी उंकार पिता सोला जाति चमार निवासी हीराजी का खेडा तहसील कपासन का शपथ पत्र प्रस्तुत जो शा0फा0 किया गया।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 18.12.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 07.10.2025 से प्रस्तुत की गई। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। वकील वादी द्वारा तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की व अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। अतः वादीगण अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 30.10.2025 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा हिराजी का खेड़ा पटवार हल्का करजाली तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी नम्बर 351, 352, 355, 356, 357, 358, 359, 360 कुल किता 8 कुल रकबा 1.42 हैक्ट0 स्थित है में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 07.10.2025 के अनुसार निम्नानुसार बटवारा किया जाता है–

1. खेमा पुत्र शंभू हिस्सा 1/3, गोपी पुत्र शंभू हिस्सा 1/3, मोती पुत्र शंभू हिस्सा 1/3 जाति जटिया सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	351/1	0.06	चाही 3
2	352/1	0.06	चाही 3
3	355/1	0.06	चाही 3
योग	कुल किता–03	0.18	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) कपासन

2. ऊंकार पुत्र सोला हिस्सा पूर्ण जाति चमार सा. देह खातेदार
रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ताणा

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	351 मी	0.04	चाही 3
2	352 मी	0.04	चाही 3
3	355 मी	0.04	चाही 3
4	356	0.36	चाही 3
5	357	0.03	चाही 3
6	358	0.54	चाही 3
7	359	0.07	चाही 3
8	360	0.12	बारानी 2
योग	कुल किता–08	1.24	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक) कपासन